भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1551
बुधवार, 4 मार्च, 2020/14 फाल्गुन, 1941 (शक)

रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए निर्धारित
लक्ष्य

1551. श्री के॰ के॰ रागेशः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पाँच वर्षों के दौरान सरकारी, गैर-सरकारी और कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के सृजन के संबंध में मंत्रालय द्वारा निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): केंद्रीय सरकार में रिक्तियां सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, पदोन्नति आदि के कारण उत्पन्न होती हैं तथा रिक्त हुए पदों को संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा भर्ती नियमों के अनुसार भरा जाना अपेक्षित है। रिक्त पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है, जो वर्ष के दौरान मंत्रालयों/विभागों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों तथा भर्ती अभिकरणों के कार्रवाई कैलेंडर पर निर्भर करती है।

युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित रोजगार का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय देश भर में चार वर्षों अर्थात् 2016-2020 के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) एवं पूर्व सीखने को मान्यता (आरपीएल) के तहत एक करोड़ व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-20 नामक एक फ्लैगशीप योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

एएसपीआईआरई (नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमशीलता के संवर्द्धन के लिए योजना) कृषि-उद्योग में उद्यमशीलता को तेजी से बढ़ाने के लिए औद्योगिक केंद्रों के नेटवर्क तथा उद्भवन केंद्रों की स्थापना के लिए प्रारंभ की गई थी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) की एएसपीआईआरई योजना के तहत प्रशिक्षित व्यक्ति कृषि-उद्यमी बन सकते हैं तथा प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), जिसके तहत बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है तथा भारत सरकार द्वारा 15-35% तक राज-सहायता प्रदान की जाती है, सहित सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति संबंधित उद्योग में भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं अथवा आगे उच्चतर कौशल/प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

रोजगार सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई थी। इस योजना के तहत, भारत सरकार, ईपीएफओ के माध्यम से नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस दोनों के लिए (समय-समय पर यथा-स्वीकार्य) 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान अर्थात् 12% का भुगतान कर रही है। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को इस योजना के तहत पंजीकरण की तिथि से तीन सालों के लिए लाभ प्राप्त होगा।

अनुबंध-I

राज्य सभा के दिनांक 04.03.2020 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1551 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रम/योजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा

	सृजित रोजगार				
योजनाएं/वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
पीएमईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)	323362	407840	387184	587416	257816 (31.12.2019 को)
एमजीएनआरईजीएस के तहत सृजित मानव-दिवस (मानव दिवस करोड़ में)	235.14	235.65	233.73	267.96	205.77 (28.01.2020 को)
प्रशिक्षण के बाद नियोजित अभ्यर्थी (डीडीयू-जीकेवाई) (व्यक्तियों की संख्या)	109512	147883	75787	135502	110862 (दिसम्बर, 2019 तक)
कौशल प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्रदान किया गया नियोजन डीएवाई-एनयूएलएम (व्यक्तियों की संख्या)	33664	151901	115416	178243	44066

(स्रोतः संबंधित मंत्रालय)